न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/94/19

तारीख रजू.....

रोहित वगैरा बनाम साहब सिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.2019	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील साइल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जबाव तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख. न. 23, 380, 431, 432, वाके ग्राम रेला तहसील कठूमर मे उनके हिस्सेनानुसार अराजी मे शामलात मे कुल काश्त सम्वन्धी कार्य कारने मे व्यवधान ना पैदा करे जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे तथा गलत इद्राज कि आड मे दीगर व्यकति को रहन बेय हिबा द्वारा मुन्जकिल ना करे तथा गैरसायल सख्या 2,3 उक्त आराजी बावत कोई दस्तावेज दर्ज वो पजीबद्व ना करे । बाज. आवे । अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 5.8.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 5.8.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	313/2016
5-8-19	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपना दावा Not Pressed मे ~~वापस~~ किया खारिज करा कीया है। अतः प्रा० पत्र चलाने का कोई औचित्य नही है अतः प्रा० पत्र की खारिज किया जाकर जाता है। पत्रावली मूल वाद के साथ सलग्न रहे।	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner